न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —189/2019

अनवान : —

1. अनूप पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र स्व0 आदुराम जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जतिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री रोहिताश शर्मा वादी
श्री पवन सिहाग प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 17/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एएमएस के खाता सं 61/50 के मु0 न0 48 के किला न0 9 ता 12 की कुल 1.0120 है0 जिसमें नहरी 0.9860है0 गै0 मु0 रास्ता 0.0260 है0 खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा आदुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। आदुराम के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि के अलावा चक 8 एएमएस में भी प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादी को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं 2 ने अपना जबाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी अनूप पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2074-77 प्रदर्श 2 जमाबदी चक 7 अगरसिंह खाता सं 42 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 7 एएमएस के खाता सं 61/50 के मु0 न0 48 के किला न0 9 ता 12 की कुल 1.0120 है0 जिसमें नहरी 0.9860है0 गै0 मु0 रास्ता 0.0260 है0 खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि के अलावा चक 8 एएमएस में भी प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम कृषी भूमि होना वाद में बताया गया है। प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र में प्रतापसिंह ने अनुप के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया है। इसलिए प्रतिवादी सं 1 ने वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी अनुप के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 7 एएमएस के खाता सं 61/50 के मु0 न0 48 के किला न0 9 ता 12 की कुल 1.0120 है0 जिसमें नहरी 0.9860है0 गै0 मु0 रास्ता 0.0260 है0 खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह का नाम कलमजन कर वादी अनुप पुत्र प्रतापसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ